

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ— / १/ सा.प्र.वि./ विविध / 2023/1120

भिलाई, दिनांक 17/08/23

// आदेश //

श्री तिलेश्वर कुमार साहू, प्रभारी उद्यान अधिकारी को नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत निर्मित अधिकारी/ कर्मचारी को दिनांक 18.08.2023 से आवासगृह क्रमांक एफ.ए-१ नेहरू नगर को निम्नांकित शर्तों पर आबंटित किया जाता है :—

शर्त :—

- आवासगृह में स्वयं के नाम से विद्युत मीटर लगाकर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
- नियमानुसार आवासगृह का किराया वेतन से वसूल किया जावेगा।
- नियमानुसार आवासगृह का जलकर वेतन से वसूल किया जावेगा।
- आबंटित आवासगृह में 15 दिनों के भीतर भौतिक अधिपत्य लेकर लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवासगृह का आबंटन स्वमेव निरस्त हो जावेगा और आवासगृह आबंटन के लिये प्राप्त शेष आवेदनों पर विचार कर आवासगृह आबंटित कर दिया जावेगा।
- यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को उपयोग हेतु किराये पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर वेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर मूलभूत नियम 45 बी अनुसार आवास का बाजार दर की दुगुनी दर से दाष्ठिक किराया वसूल किया जावेगा।
- आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
- आवासगृह तथा उसमें लगे विद्युत उपकरण एवं अन्य समान को आवासगृह रिक्त करते समय यथास्थिति वापस सौंपना होगा। तोड़-फोड़ तथा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उस पर होने वाले व्यय की राशि आबंटिती से वसूल किया जावेगा।
- आबंटिती के स्थानातंरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा तथा आबंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवासगृह को अधिपत्य में नहीं रख सकेंगे तथा अनाधिकृत रूप से अधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर से किराया वसूल किया जावेगा।

क्रमश.....

9. – आवंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पढ़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यवित को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आवंटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवंटिती के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अधिपत्य की अवधि का मकान किराया मूलभूत नियम 45 वी के तहत वसूल किया जावेगा।
10. – इस आदेश के द्वारा आवंटिती द्वारा आवासगृह का अधिपत्य लेने पर पूर्व में आवंटिती को नगर पालिक निगम, भिलाई के अन्य आवासगृह या निगम द्वारा आवेदन अग्रेषित करने या अनुशंसा करने पर अन्य संस्था का आवासगृह आवंटित हो तो तीन दिन के अवधि में रिक्त कर अधिपत्य सौंपना अनिवार्य होगा। अन्यथा दोनों आवासगृहों पर अधिपत्य होने के कारण आवंटन आदेश निरस्त करते हुए आवंटिती के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी तथा दोनों आवासगृहों में से उच्च श्रेणी के आवासगृह का किराया उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जावेगा।
11. – आवंटिती का स्वयं अथवा परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता के नाम नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर निजी मकान, शासन (नजूल विभाग) द्वारा प्राप्त आवासीय पटटा, आवासीय योजना के तहत आवंटित आवास होगा या क्रय किया जाता है तो आवंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर उसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाप्तिक किराया वसूल किया जावेगा।
12. – आवंटिती के परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता को कोई शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं या नगर पालिक निगम, भिलाई में आवासगृह आवंटित है अथवा भविष्य में आवंटित हो जाये तो आवंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर इसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाप्तिक किराया वसूल किया जावेगा।
13. – यदि आवासगृह का सामान्य/दाप्तिक किराया तथा विद्युत शुल्क/जलकर आदि बकाया रहेगा और उसे स्वयं जमा नहीं किया जाता है तो वेतन अथवा देय स्वत्त्वों अथवा राजस्व के बकाया के रूप से राशि वसूलनीय होगा।
14. – प्रशासनिक कारणों से यह आवंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जावेगा तथा आवंटन आदेश निरस्त किये जाने पर सात दिवस के अन्दर आवासगृह रिक्त करना होगा।

15. — आवासगृह आबंटन/धारण करने एवं किराया के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

रोहित व्यास
(आई.ए.एस.)
आयुक्त
नगर पालिक निगम
मिलाई
मिलाई, दिनांक 12/10/23

पृ.क्र./एफ— /1/ सा.प्र.वि./विविध/2023/1121

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन 01 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. श्री तिलेश्वर कुमार साहू, प्रभारी उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
11. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई